



चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 26.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 26.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चैकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 09 अभियुक्तों के कब्जे से 177 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू तथा 15 लीटर कच्ची शराब महुआ बरामद की।

(1). निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र नंदलाल कोल निवासी उमरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(II). उ0नि0 श्री पवन कुमार त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त श्याम सुंदर पुत्र राजू कुशवाहा निवासी कस्बा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(III). उ0नि0 श्री रामकुमार व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गणेश पुत्र लाल कुशवाहा निवासी बौद्ध नगर कस्बा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 21 अदद देशी क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(IV). उ0नि0 श्री इमरान खान व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त प्रभु दयाल पुत्र सुग्रीव निवासी नादिनकुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(V). उ0नि0 श्री दिनेश चंद्र पांडे और उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता उषा पत्नी राजकरण और निवासी गुहाई पुरवा मजरा जरदहा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(VI). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बल्लू निषाद पुत्र रज्जू निषाद निवासी अमवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(VII).

(VIII). उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र रंजीत यादव निवासी अर्की थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(IX). उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गया प्रसाद पुत्र राम अवतार प्रजापति निवासी कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 यातायात श्री राजकिशोर और मुख्य आरक्षी यातायात आशाराम द्वारा एक महिला के खोए बैग को सामान सहित बरामद कर महिला को सुपुर्द किया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 26.02.024 को एक महिला जिसका नाम गिनिया पत्नी नरेंद्र निवासी कल्याणपुर फतेहगंज जनपद बाँदा जो शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए कर्वी आयी थी के द्वारा धनुष चौराहा कर्वी पर ड्यूटीरत उ0नि0 यातायात श्री राजकिशोर और मुख्य आरक्षी यातायात आशाराम को सूचना दी कि उनका बैग जिसमें 1.70 लाख (अनुमानित कीमत) के जेवर और कपडे है जिस टैम्पो से वह आ रही थी उसमें भूलवश छूट गया है और अब वह टैम्पो दिखाई नहीं दे रही है कि सूचना पर उ0नि0 व मुख्य आरक्षी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन कर अथक प्रयास करते हुए महिला से टैम्पो की पहचान कराकर बैग को सामान सहित बरामद कर महिला को सुपुर्द किया। अपना खोया बैग पाकर महिला के चेहरे पर लौटी मुस्कान, चित्रकूट पुलिस का किया धन्यवाद।

(5) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. प्रकाश रैदास पुत्र शिवमोहन निवासी होडिया का पुरवा थाना मऊ 2. बबली कहार पुत्र प्रहलादी 3. अनुराग सिंह पटेल पुत्र शिवप्रसाद जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से ₹4000 व 52 अदद तास के पत्ते, जामा तलाशी से ₹1500 बरामद किए गए। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

₹4000 मालफड़ व 52 अदद ताश के पत्ते, जामा तलाशी से ₹1500

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री इंद्रजीत गौतमल थाना मऊ
2. आरक्षी राहुल पांडेय
3. आरक्षी मनीष यादव
4. आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

(6) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु०अ०सं० 113/2006 धारा 379 व 26 वन अधिनियम के आरोपी अभियुक्त जगलाल पुत्र राम जियावन केवट निवासी बरहा कोटरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई लगभग 10 दिन की अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु०अ०सं० 123/2011 धारा 380, 511 भादवि० के आरोपी अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र भगवानदीन कोरी निवासी कस्बा सीतापुर जनपद चित्रकूट को 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम जनपद चित्रकूट द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु०अ०सं० 52/2020 धारा 279,337,338,427 भादवि० के आरोपी अभियुक्त महेश प्रसाद पाल पुत्र लक्ष्मी प्रसाद पाल निवासी पथरौड़ी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक 20.06.2020 को वादी राम सिंह यादव पुत्र राजाराम निवासी कंठीपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में सूचना दी कि डम्पर चालक नं० यू०पी० 96 टी० 2725 के चालक द्वारा मेरे पुत्र अरविन्द कुमार की मोटर साइकिल यू०पी० 96 जे० 2948 में जोरदार टक्कर मारकर छतिग्रस्त कर देना जिससे मेरे पुत्र का दाहिना पैर टूट जाने की सूचना दी गयी थी सूचना पर थाना भरतकूप में मु०अ०सं० 52/2020 धारा 279,337,338,427 भादवि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ०नि० श्री फिरोज खाँ द्वारा की गयी। दिनांक 02.08.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9) पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिन सोमवार दिनांक 26.02.2024 को क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज मिश्रा का जनपद चित्रकूट से जनपद हरदोई स्थानान्तरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई।

इस विदाई समारोह पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा स्थानान्तरित उपाधीक्षक श्री अनुज मिश्रा को फूल-माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा स्थानान्तरित उपाधीक्षक की प्रसन्सा करते हुए कहा कि इनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है एक क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान के रूप में जनपद में अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित किया है आशा है कि स्थानान्तरित जनपद में उपाधीक्षक के रूप में भी अपने कार्य से अमिट छाप छोड़े, इनके स्थानान्तरण होने से हम लोगों को इनकी कमी खलेगी वही स्थानान्तरित उपाधीक्षक श्री अनुज मिश्रा ने कहा कि मुझे चित्रकूट की जनता और पुलिस की तरफ से ढेर सारा प्यार और स्नेह मिला, जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अपने चित्रकूट के कार्यकाल में मुझे यहाँ अपनापन लगने लगा था। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी ने कहा कि पदाधिकारियों का आना-जाना लगा रहता है परन्तु कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्य के बदौलत एक अलग छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें लोग भूल नहीं पाते हैं।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी यातायात/लाइन्स श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह व प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित, प्रधान लिपिक श्री आनंद मोहन शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।